

सं. 14039/03/2014-यू टी एस-11

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 07 जनवरी, 2014

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार सोनी द्वारा मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना मांगे जाने के संबंध में श्री प्रदीप कुमार सोनी, गनगपुर सिटी, एफ सी आई गोदाम रोड, सैनिक नगर, गनगपुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान द्वारा उनके दिनांक 18.11.2013 के ऑनलाइन आवेदन, जिसकी एक प्रति निदेशक (एस आर) तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से यू टी एस-11 अनुभाग/गृह मंत्रालय में दिनांक 02.01.2014 को प्राप्त हुई है, के संदर्भ में, श्री सोनी को सूचित किया जाता है कि मांगी गई सूचना गृह मंत्रालय के यू टी एस-11 अनुभाग से संबंधित नहीं है। अतः इसे शून्य समझा जाए।

2. अपील प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है :

श्री आई.एस. चहल,
संयुक्त सचिव (यू टी),
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)
निदेशक (सेवाएं)/
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष सं. : 23092436

सेवा में

श्री प्रदीप कुमार सोनी,
गंगपुर सिटी, एफ सी आई गोदाम रोड,
सैनिक नगर, गनगपुर सिटी,
जिला सवाई माधोपुर,
राजस्थान-322201

जारी किया/ISSUED

दिनांक/Date.....
15.01.14

दस्तावेज/Sl. No.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन (2)

फॉर्म क्रमांक 213

दिनांक - 18.11.2013

प्रेषित - लोक सूचना अधिकारी श्रीमान् सचिव महोदय, केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली भारत-110001

आवेदक का पूरा नाम व पता - प्रदीप कुमार सोनी महाराष्ट्र राजस्थान मुझ-सुनिश्चित-गंगापुर सिटी FCI गोदान रोड सैनिक नगर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज.) 332201 राज. 5001081313

चाही गयी सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है -

22 NOV 2013
1464

1. विधिक सहायता समिति के पैनल में कितने वकील हैं। पैनल के नम्बर बताये।
2. विधिक सहायता समिति में कितने सदस्य हैं। सभी सदस्यों के नाम क्या हैं। कगद सूचना दें।
3. विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है? एवं अन्य क्या पद हैं।
4. विधिक सहायता समिति, पुलिस, S.D.M., M.L.A. के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के लिए इनके खिलाफ गरीब इन्सान को पैनल से आप वकील दे सकते हैं अथवा नहीं।
5. विधिक सहायता समिति, राजस्थान सरकार के ऊपर केश करने के लिए पैनल से वकील देती है अथवा नहीं।
6. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B-C.I.D. क्राइम ब्रान्च जांच करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है अथवा नहीं। गरीब इन्सान को।
7. विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.I. जांच करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
8. विधिक सहायता समिति, पुलिस के द्वारा किये जा रहे अपराचार के लिए A.C.B.पोर्ट में केश दर्ज करवाने के लिए/A.C.B.थाने में F.I.R दर्ज करवाने के लिए पैनल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं गरीब इन्सान को।
9. आपके कार्यालय के प्रमुख या इन्चार्ज/सर्विस कर्ता का दर्शन लग किस प्रकार लिया जा सकता है।
10. विधिक सहायता समिति को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कितने दिन/कितने घंटे बाद पैनल से वकील देती है।
11. विधिक सहायता समिति में समाज सेवक/सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य बनना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए।
12. विधिक सहायता समिति ने अब तक कबि आज दिनांक तक पुलिस वालों सरकार के खिलाफ पैनल से किसको वकील दिया है। सूचना दें।
13. विधिक सहायता समिति को प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये हैं।
14. विधिक सहायता समिति की मीटिंग में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सूचना दें।
15. किसी गरीब इन्सान के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उस गरीब प्रार्थी ने नेशनल इम्यून राइट कमिशन में शिकायत की हो और कमिशन से उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो क्या आप पैनल से उस प्रार्थी को वकील देंगे। सूचना दे सम्पूर्ण रूप से।
16. आपके कार्यालय के सचिव महोदय ने कितनी संस्थाओं को मिलने के लिए समय दिया है। क्रम वार सूचना दे। एवं संस्थाओं के नाम व पता बताएँ।
17. आपने जेल में बन्द मुलाजिमों की किस-2 प्रकार की एव कितनों की सहायता की है। बन्दुवार सूचना दे।
18. गंगापुर सिटी प्रशासन हमारे कार्यालय/कॉलोनी में बंदा पानी छोड रखे हैं। हमें एवं कॉलोनी वारियों को डेगू, डिकिनगुनिया के गरीब बनाने के लिए जिसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी थी, पर आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए।
19. आपने किस किस संस्थाओं को विशेष अधिकार दे रखे है नाम व पते के साथ अधिकारों का विवरण बताएँ।
20. संस्था C.B.I. की मदद करना चाहती हो तो संस्था को क्या करना चाहिए।
21. गंगापुर सिटी में A.C.B. थाना खुलवाना है तो संस्था को क्या क्या करना चाहिए।
22. गंगापुर सिटी को जिला बनवाना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
23. गंगापुर सिटी के पानों में पलोरार्ड बहुत अधिक है, तो संस्था को क्या करना चाहिए।
24. संस्था किसी अधिकारी के द्वारा आप से अधिक संपत्ति की जांच करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

25. संस्था किसी जज के द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाना चाहेती हो तो संस्था को क्या करना होगा।
26. नोटरी पब्लिक की किस कार्य के लिए कितनी फीस है। आप सूचना दें।
27. नोटरी पब्लिक के द्वारा ज्यादा पैसो लेने की कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है।
28. समय आयुक्त अगर पैसा ज्यादा ले तो शिकायत कहीं कहीं कर सकते हैं। सूचना दें।
29. कोर्ट परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर की दुकान अगर किसी को खोलनी है तो कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
30. मैं प्रदीप कुमार सोनी सामाजिक कार्यकर्ता गोकुल कमिश्नर बनना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
31. वकील अगर गलत कार्य करता है तो कमिश्नर को शिकायत कहीं कहीं की जाती है।
32. P.P./A.P.P संस्वारी कमीनों के द्वारा अगर गलत कार्य किये जा रहे हैं एवं प्रष्टाचार में में रूते हैं तो शिकायत कहीं-कहीं करनी चाहिए।
33. किसी आम गरीब इन्सान के ऊपर अगर झूठा आरोप लगाकर आई.पी.सी. 378 लगा दी जावे तो मुलाजिम डाक्टर की जांच कहीं- कहीं करा सकते हैं। इराका तरीका क्या है। सूचना प्रदान करें।
34. किसी गरीब इन्सान के ऊपर I.P.C. 376 लगी हो और वो इन्सान निर्दोष हो और पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो वो इन्सान किस किस एजेन्सी से जांच करवा सकता है। एवं जांच करवाने का तरीका किस किस प्रकार है। सूचना प्रदान करें क्रम वार।
35. किसी निर्दोष इन्सान के ऊपर I.P.C. 379 लगी हो और उस गरीब इन्सान को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो तो वो इन्सान किस-किस जांच एजेन्सी से जांच करवा सकता है। विन्दुवार सूचना प्रदान करें। एवं जांच करवाने का तरीका किस प्रकार है।
36. किसी इन्सान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलाजिम बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दें एवं उस गरीब इन्सान ने चालान कोर्ट में पेश होने से पहले ही महागठिम राष्ट्रपति महोदय नेशनल ह्युमन राईट कमिशन, लोकायुक्त महोदय जी से काईम ग्रान्च जांच की गॉन की थी फिर भी काईम ग्रान्च जांच नहीं हुई, प्रष्टाचारी पुलिस वालो को पैसो नहीं देने के कारण कोर्ट में चालान पेश कर दिया। तो प्रार्थी को क्या करवाना चाहिए।
37. क्या गरीब इन्सान को काईम ग्रान्च जांच करवाने का अधिकार नहीं ? सम्पूर्ण सूचना दें।
38. न्यायाधीश A.D.J. द्वारा प्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रूपये की संपत्ति एकत्रित की जा रही है। इसकी जांच कौन करेगा।
39. न्यायाधीशों A.D.J. के द्वारा साठ-गौठ करके नया प्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी जांच कौन करेगा।
40. राष्ट्रीय एवं राज्तीय ह्युमन राईट कमीशनों के अध्यक्षों के द्वारा अरबों/करोड़ों रूपये रिश्वत लेकर कमाये जा रहे हैं इनके खिलाफ आपने जांच के आदेश दिये या नहीं।
41. राष्ट्रीय एवं राज्तीय ह्युमन राईट कमिशन के सदस्यगण व कर्मचारियों के द्वारा प्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रूपये कमाये जा रहे हैं। इसकी जांच आपने अब तक करवाई की या नहीं। एवं इसकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है। सम्पूर्ण सूचना दें।
42. राजस्वान के लोकायुक्त सचिवालय में सभी कर्मचारी प्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रूपये कमा रहे हैं। इनके खिलाफ आपने अब तक जांच के आदेश दिये या नहीं दिये। एवं इनकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है विन्दुवार सूचना प्रदान करें।
43. एस.डी.एम, कार्यालय गंगापुर सिटी में सभी कर्मचारी प्रष्ट है जिनमें एस.डी.एम. भी शामिल है इनके खिलाफ आपने जांच के आदेश दिये या नहीं एवं इनके खिलाफ कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है। सूचना प्रदान करें।
44. तहसीलदार जी एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी गंगापुर सिटी के प्रष्टाचार करके करोड़ों रूपये कमा रहे हैं। इनकी जांच कौन करेगा।
45. गंगापुर सिटी पुलिस मुझे डरती है, एवं धमकी देती है कि तुम समाज सेवा करना बंद कर दो। जिससे मुझे काफी परेशानी होती है, इनकी शिकायत मैं कहीं कहीं करूँ।
46. सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने के लिए आप पैनाल से वकील देते हैं अथवा नहीं।
47. आपके कार्यालय को सबसे बड़े मद पर विराजित को संस्था मूलाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा विवरण दें।

48. अंगामपुर सिटी कोर्ट परिसर के सभी कर्मचारी प्रत्याचार में डूबे हुए हैं तो संस्था को इनकी शिक्कायत कहीं भेजनी चाहिए।
49. राजस्थान सरकार युवाओं का शोषण कर रही है तो संस्था की आप किसी प्रकार मदद कर सकते हैं जनहित परिवार में।
50. कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सुझा प्रदान की है।
51. सामाजिक कार्यकर्ता की आप किस किस प्रकार मदद करते हैं कम बार सूचना देवे।
52. आपके कार्यालय से आपके कर्मचारी सरकारी सामान की चोरी करके अपने परिवार वालों को ले जाते हैं जैसे फागन, रबर, बैरिशाल, पेन, अन्य आपने अपने कर्मचारियों के घर का निरीक्षण किया है कि वो किस सामान की चोरी करते हैं।
53. विधिक सहायता समिति जिला न्यायालय साकेत कोर्ट नई दिल्ली में कर्मचारियों के द्वारा बहुत मन्दा व्यवहार किया जाता है वरीय को परेशान करते हैं तो इराकी जॉब कोष करेगा।
54. किस किस केश में D.N.A. जॉब कराई जा सकती है। एवं जॉब करवाने का तरीका क्या है। पूर्ण विन्दुवार सूचना दे।
55. D.N.A. जॉब करवाने के लिए कहीं - कहीं आवेदन किया जा सकता है जो नि:शुल्क में होती है।
56. किसी इंसान की पत्नी बिना तलाक दिये दूसरी शादी करले व पहले पति को तलाक दिये बिना दूसरे पति से बच्चे भी पैदा कर ले तो पहले पति को क्या करना चाहिए। या किराकी शरण में जाना चाहिए। सूचना विन्दुवार प्रदान करें।
57. किसी इंसान की पत्नी पहले पति के सारे जेवरों को लेकर दूसरे पति (इंसान) से शादी करले दूसरा पति बहुत बड़ा गुण्डा हो जो कोई सबूत ना देता हो पर बच्चे पैदा जरूर करता है तो पहले पति को क्या करना चाहिए। विन्दुवार सूचना दें।
58. आपके यहाँ पर सिवनी समितियाँ है व क्या कार्य करती है उनके नाम किस प्रकार है सूचना दें।
59. आपके यहाँ पर कोई संस्था जनहित, परिवार विनी और के लिए परिवाद दे सकती है अथवा नहीं सूचना दें।
60. आपके यहाँ कोई हेल्पलाईन नं० है या नहीं यदि है तो नं० बताइये।
61. आज दिनांक तक कितनी F.I.R. दर्ज करवाने के आदेश आपने दिये है परिवाद प्राप्त होने पर
62. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.-C.I.D. जॉब के आदेश दिये है। या दितवाये है
63. आज दिनांक तक आपने कितने परिवादों पर C.B.I. जॉब के आदेश दिये है या दितवाये है।
64. आज दिनांक तक आपने कितने अधिकारियों को सजा दी। या दितवायी है उनका पद नाम एवं पता बताये।
65. आज दिनांक तक आपने बड़े से बड़े मंत्री/अधिकारियों को सजा दी है या दितवायी है उनका पदनाम एवं पता बताइये।
66. आपके कार्यालय का प्रतिष्ठाह कितना खर्च होता है उन खर्चों को भगवान देता है या देश की गरीब जनता देती है। सम्पूर्ण रूप से विवरण दें।
67. SHO पुलिस DPT पुलिस, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा किसी को नाजायज परेशान करना, अत्याचार करना, गुण्डागर्दी करना, रिश्ता लेना, इन दोषों में से अगर एक दोष इन अधिकारियों ने हो और उनका सबूत हो तो इन अधिकारियों के उपर F.I.R. दर्ज करवाने का सही तरीका कौनसा है।
68. क्या इन अधिकारियों के उपर न्यायालय ACJM कोर्ट में इरतगारा पेश कर FIR दर्ज करवाने का अधिकार मौजूद है अथवा नहीं सूचना प्रदान करें।
69. समिति ACB का रपेशाल कोर्ट जिला सवाई माधोपुर में खुलवाना चाहती है तो समिति को क्या करना चाहिए सूचना प्रदान करें।
70. केन्द्रिय आयोग, कुल कितने है इनके नाम क्या क्या है व कार्य क्या है।
71. केन्द्रिय आयोगों के सभी के पते किस प्रकार हैं, एवं दूरभाष सहित सूचना देवे।
72. राजस्थान में कुल आयोग कितने हैं इनके नाम किस प्रकार है।
73. राजस्थान में कुल आयोगों के सभी सही सही पते किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
74. आपसे, आपके कार्यालय से एक आम आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मदद सहायता ले सकता है। पूर्ण रूप से सूचना प्रदान करें।
75. किसी आदिवासी गरीब, दलित गजदूर को अगर कोई 500/- रूपये का नोट नकली दे देता है और वो गरीब इंसान बैंक में जमा करवाने जाता है बैंक उस 500/- रूपये के नोट की सूचना पुलिस को देती है उस गरीब इंसान के साथ क्या होगा, क्या पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, या उस गरीब को प्रताड़ित करेगी, क्या होगा उस गरीब इंसान के साथ, पूर्ण रूप से सूचना देवे।

76. भारत देश में एवं राजस्थान में नकली नोटों को फाड़ने के लिए कितनी एजेन्सी/थाने/पुलिस लगा रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ नकली नोटों के काते कचे पर छापा जाते हैं। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
77. सरकार/पुलिस/C.B.I./सुपिन्सा एजेन्सियों/C.I.D./ प्राइवेट एजेन्सी होने के बावजूद देश में राजस्थान प्रदेश में नकली नोट कैसे आते हैं क्या सरकार योग्य लाईसेन्स जारी करती है या सरकार इस पैसे में हिस्सेदार है सम्पूर्ण सूचना दें।
78. गंगापूर सिटी पुलिस रुपये लेकर नम्बर 2 के चार कार्य करवा रही है। जैसे हथियार बेचना, बनाना, मादक पदार्थ बेचना, चोरी करवाना इन सभी सूचनाओं को I.B. के कर्मचारी उपर भेज रहे हैं इन सब के बावजूद गंगापूर पुलिस को ऐसे कृत्य करने के लिए परमिशन/लाईसेन्स दे रखा है तो आप उस लाईसेन्स परमिशन की एक प्रमाणित कॉपी एक रीट में दें। सम्पूर्ण सूचना दें।
79. गंगापूर सिटी पुलिस थाने में कई वर्गों से गुम हुए आदमियों एवं सामान की शिक्का तो दर्ज करती है पर तलाश नहीं करती है आखिर क्यों क्या तलाश नहीं करने का कानून है। सूचना प्रदान करें।
80. गंगापूर सिटी में जो भी अधिकारी नौकरी करके यहाँ से गया है जैसे उप पुलिस अधीक्षक, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार थाना S.H.O/C.I. जो कम से कम एक वर्ष तक यहाँ रहा हो वो गंगापूर सिटी में से नम्बर 2 की कमाई एक करोड़ रुपये से भी अधिक लेकर जाता है इस कारण वो गंगापूर सिटी में दोबारा आने के लिए काफी जतन करता है। गंगापूर सिटी में से अधिकारी नौकरी करके जाते हैं उनकी सम्पत्ति रुपये हेरियत की जाँच आज दिनांक तक कितनी बार करवाई है, पूर्ण सूचना प्रदान करें।
81. आपके कार्यालय के द्वारा हेल्पलाईन नम्बर चला रखे है वो किस प्रकार है तथा आपके यहाँ से टोल फ्री नम्बर भी हेल्पलाईन में चला रखे है तो बताएँ।
82. गंगापूर सिटी सरकारी कार्यालयों में गंगापूर सिटी के ही लोकल कर्मचारी लगा रखे है जो साठ साठ करके बड़े बड़े प्रष्टाचार करवाते है, सरकारी कार्यालय जैसे न्यायालय A.D.J. कोर्ट A.C.J.M. कोर्ट, M.M. कोर्ट, न्यायालय उपजिला कलेक्टर, न्यायालय तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक वगैर गंगापूर सिटी सूचना प्रदान करें कि संविधान की किस धारा अनुच्छेद में सरकारी कार्यालयों में लोकल कर्मचारी लगाने की परमिशन देता है।
83. गंगापूर सिटी सरकारी कार्यालयों में कई वर्गों से भी अधिक समय से वे कर्मचारी लगे हुए है जो रहने वाले गंगापूर सिटी के है जो प्रष्टाचार करवाने में अहम भूमिका निभा रहे है इन कर्मचारियों को कम हटाया जावेगा। सम्पूर्ण सूचना दें।
84. विधिक सहायता समिति से यदि कोई गरीब इंसान वकील लेकर न्यायालय में निगरानी इस्ताफारा, जनहित याचिका, परिवाद कानूनी तरीके से बनवाना चाहता है। कानूनी तरीके से तो खुद पहरवी करना चाहता है तो क्या विधिक सहायता समिति न्यायालय में कामज पेश करने के लिए मार्ग दर्शक के तौर पर वकील उपलब्ध करवा सकती है। अथवा नहीं पूर्ण सूचना प्रदान करें।
85. राजस्थान में मन्त्रालयों, विभागों आयोगों, न्यायपालिका में उच्च लेवल के सतस बड़े अधिकारी जो सतर्कता C.I.D.-A.C.B. के सभी एवं अलग अलग सतर्कता के अधिकारियों के सभी नाम किस प्रकार है उनके मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी फैंक्स नम्बर बता सभी सूचनाएँ कम बार उपलब्ध कराये।
86. न्यायपालिका में कोई सतर्कता अधिकारी, विभाग होता है तो उच्च अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर पता इत्यादि कि सूचना दें।
87. राजस्थान में सन् 2000 से आज दिनांक तक पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों, एवं अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर कुल प्रति वर्ष एफआईआर दर्ज हुई है प्रतिवर्ष के हिसाब से सूचना प्रदान करें।
88. राजस्थान में आजादी के बाद से आज दिनांक तक प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को राजा मिल चुकी है सूचना प्रदान करें।
89. भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भारत द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है रिट संख्या सन् वो आदेश की कॉपी चाहिए या जो भी उपलब्ध हो महोदय।
90. आपके कार्यालय एवं आपके पद का बजट आम जनता की बदोलात है या आपके कार्यालय व आपके पद के कारण आम जनता का बजट है। सूचना प्रदान करें।
91. राजस्थान में राजाओं, दरबार साहबों, राज परिवारों के नाम, पते नम्बर सहित सूचना प्रदान करें।
92. आपके कार्यालय के कारण कितने गरीब इंसानों को जिन्दगी मिली है, नई जिन्दगी जीने का मौका मिला है कुछ गरीबों पर मेहरबानी की है कितनों की सहायता की है कितनों को न्याय दिलाया है। सूचना प्रदान करें।

93. आपके कार्यालय में आज दिनांक तक कितने जन आदमियों के अर्सेज बन गए हुए है।
निरन्तर ...5 पर.

94. सरकारी नौकरी के पेपर लीक होना, पेपर आउट होना, नौकरी में फजी वाउ इत्यादि को रोकने के लिए आज दिनांक तक कितने अभियान आपके कार्यालय द्वारा चलाये गये एवं मुलजिमों को इस अपराध में आगने आज दिनांक तक कितनों को पकड़ा व सजा मिलवाई है।
95. संस्था "समिति" के चार मोर्चे अपराधी आर्थे जो पूर्व में कई बड़े अपराध कर चुका हो अज्ञानता के कारण पर संस्था को शपथ पत्र पेश करके कहें कि भविष्य में दुबारा अपराध नहीं करुंगा और संस्था के द्वारा जो सखता दिखाया जायेगा सखवाई का उस पर हमेशा चलुंगा और दूसरों की सदैव मदद करुंगा। व संस्था को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो क्या संस्था को उस अपराधी को सुधरने व नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का अधिकार है कि नहीं संस्था उस अपराधी को समाज सेवा के प्रति अप्रसन्न कर सकती है अथवा नहीं। सम्पूर्ण सूचना देवे।
96. समिति ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 ए-डी के तहत उपजिला कलेक्टर गंगापूर सिटी को प्रार्थना पत्र पेश किया परमिशन लेने के बारे में पर उपजिला कलेक्टर गंगापूर सिटी ने पत्र क्रमांक 3258 दिनांक 25.10.2013 को पत्र भेजा जिसमें जिक किया कि रेली के साथ ज्ञापन देने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। समिति को उपजिला कलेक्टर मौलिक अधिकारों के तहत परमिशन देने में आनाकानी करते है सिर्फ और सिर्फ रिश्तत नहीं देने के कारण तो समिति को क्या करना चाहिए। प्रक वार सूचना प्रदान करें।
97. किस्ती गरीब इरान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलजिम बनाकर न्यायालय कोर्ट में चालान पेश कर दे पर वो गरीब इरान मिलकुल निर्दोष हो पुलिस को रुपये नहीं देने के कारण उस गरीब इरान अपने केस की दोबारा जांच करवाना चाहता है सखवाई के साथ C.B.-C.L.D. काईम बान्ध से तो उस गरीब इरान को क्या करना चाहिए पूर्ण सूचना प्रदान करें।
98. जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना किस के लिए की गयी है एवं जिला रोजगार कार्यालय किस किस प्रकार के कार्य करता है पूर्ण सूचना प्रदान करें।
99. संस्था " समिति " अगर किसी इनामी डकैत का समर्पण करवाना चाहती है, तो संस्था को किस प्रकार की सुविधा सरकार व प्रशासन की और से दी जाती है एवं डकैत से समर्पण करवाने का सही पूर्ण तरीका किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
100. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों के पद नाम बताएं व सभी के मोबाईल नम्बर बताएं एवं कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
101. राजस्थान प्रदेश में कितने इनामी डकैत है, जो आज दिनांक तक सरकार के पकड में नहीं आये हैं उनके नाम पत्रे बतायें।
102. थाना गंगापूर सिटी में C.L.G. सदस्य अधिकतर अपराधी है एवं राजनितिक है इसकी जांच कब होगी।
103. संस्था गरीब परिवारों का नाम B.P.L. सूची में दर्ज करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।
104. किस्ती थाने का S.H.O./ C.I. ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया हो और उस दिन व दो चार दिन तक न्यायालय कि छुट्टी हो तो वह महिला किस की परमिशन से डाक्टर गुआथना/ डाक्टर की जांच करवा सकती है। सूचना प्रदान करें।
105. गंगापूर सिटी की जनता को चम्बल परियोजना का पानी कब पीने को मिलेगा जो सन् 2004 से प्रस्तावित है। और धीरे-धीरे कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। सूचना देवे।
106. सामाजिक कार्यकर्ता/ समाज सेवक की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली कई वर्षों तक ध्यान नहीं दे या शिकायत पर अन्तिम फैसला नहीं करें तो सामाजिक कार्यकर्ता/ समाज सेवक को क्या करना चाहिए।
107. सरकार व न्यायपालिका अगर गंगापूर सिटी के सभी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते है तो गरीब जनता से टैक्स क्यों लेते हैं। सूचना देवे।

भारतीय पोरटल ऑर्डर 10/-रुपये का नम्बर 26F 217047 पेश है।

स्थान - गंगापूर सिटी

दिनांक - 18.11.2013



प्रदीप कुमार सोनी

महस सूचित

रोजगार युवा समिति
राजस्थान नगर मॉडर्न समिति के पास
एफ.डी.सी. 02008, गवर्नर रोड
गंगापूर सिटी 307000 (राज.)